सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 कार्तिक, 1945 (श०)

संख्या - 629 राँची, गुरुवार, 26 अक्टूबर, 2023 (ई०)

परिवहन विभाग

संकल्प

20 अक्टूबर, 2023

विषय : झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, 2022 के क्रियान्वयन की स्वीकृति के संबंध में ।

संख्या-परि०आ०-349/2015-1227--परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक-1517, दिनांक-13.10.2022 (गजट सं.-512, दिनांक-17.10.2022) द्वारा झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, 2022 के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गयी है। प्रस्तुत योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण Connectivity हेतु निजी बस ऑपरेटरों को प्रोत्साहित करने तथा ग्रामीणों को बेहतर परिवहन सेवा मुहैया कराना है। इस योजना के तहत सूदूर ग्राम पंचायतों को प्रखण्ड स्तर से लेकर जिला मुख्यालय तक को जोड़ना एवं साथ ही साथ नजदीकी स्कूल, कॉलेज/उच्च शिक्षण संस्थानों/चिकित्सा संस्थानों/नजदीकी मुख्य मार्ग/नजदीकी व्यवसायी केन्द्र को जोड़ा जाना है ।

2. उक्त योजना के कियान्वयन के क्रम में उप परिवहन आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड द्वारा सभी जिलों के बस ऑनर्स एसोसिएशन/वाहन स्वामियों के साथ बैठक की गयी है, जिसमें उनके द्वारा ग्रामीण मार्गों पर बस संचालन में आ रही कठिनाईयों एवं योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु सुझाव/मंतव्य दिया गया है। सभी वाहन स्वामियों से प्राप्त सुझाव एवं मंतव्य के समीक्षोपरांत संकल्प के प्रावधानों में मुख्यत: निम्न संशोधन हेतु प्रतिवेदन विभाग को प्रेषित की गयी है :-

i. झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, 2022 हेतु निर्गत परमिटों के पाँच वर्षों के उपरांत परमिट नवीकरण का प्रावधान अंकित नहीं है।
ii. उक्त योजना संबंधी संकल्प की कंडिका 6.6 (iii) एवं (iv) में 07 से 21 बैठान क्षमता तक के पुराने वाहनों के संबंध में कोई प्रावधान अंकित नहीं है।
iii. नये ग्रामीण मार्गो की अधिकतम दूरी 70 किलोमीटर अनिवार्य की गयी है जिसमें साधारण मार्ग (NH/SH) का 50% या 30 किलोमीटर मार्गांश दोनो में से जो भी कम हो, का भी प्रावधान है जिसके कारण दूरस्थ क्षेत्रो से जिला/अनुमण्डल मुख्यालय को जोड़ा नहीं जा सकता है।
iv. यदि परमिटधारी द्वारा स्वैच्छिक रूप से परमिट का प्रत्यार्पण किया जाता है तो उस स्थिति में क्या क्या कार्रवाई की जानी चाहिये यह स्पष्ट नहीं है।
v. नये मार्गो के निर्धारण में ग्रामीण मार्ग में पड़ने वाले सभी प्रखण्डो से प्रस्ताव अनुमोदित किया जाना है अथवा मार्ग के प्रारम्भ बिन्दु से किसी एक प्रखण्ड से ही अनुमोदित किया जाये इस संबंध में संकल्प में स्पष्टता नहीं है।
vi. परमिट आवेदन शुल्क 500 रूपये से विमुक्ति अथवा लेने के संबंध में स्पष्टता नहीं है।

3. प्रासंगिक योजना के क्रियान्वयन में वाहन स्वामियों के स्तर पर आ रही कठिनाईयों के संबंध में उप परिवहन आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड से प्राप्त प्रस्ताव निम्नवत् है:-

i. संकल्प की कंडिका 13.2 में आम नागरिको को बस भाड़ा में दिये जाने वाले रियायत का प्रावधान किया गया है जिसके अनुसार सरकारी विद्यालय/महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को बस भाड़ा में रियायत दिया जाना है अथवा सभी शिक्षण संस्थानों के छात्र/छात्राओं को बस भाड़ा में रियायत दिया जाना है, यह स्पष्ट नहीं है।
ii. शिक्षण संस्थानों में अवकाश अवधि अथवा अन्य प्रयोजन हेतु यदि छात्र/छात्रा यात्रा करते है तो उनसे भाड़ा वसूला जाय अथवा नहीं?
iii. वाहन स्वामियों द्वारा ग्रामीण बस हेतु अलग बस स्टैण्ड निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।
iv. ग्रामीण बसों का भाड़ा का निर्धारण किस प्रकार किया जायेगा?
v. वाहन स्वामियों द्वारा ग्रामीण बस का टॉल टैक्स/पड़ाव शुल्क माफ करने तथा विभिन्न वर्ग को बस भाड़ा में देय रियायत के क्षतिपूर्ति के एवज में सब्सिडी अथवा डीजल में सब्सिडी भी प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

4. सभी उप परिवहन आयुक्त सह सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड एवं बस ऑनर्स एसोसिएशन के सदस्यों तथा वाहन स्वामियों के साथ सम्पन्न बैठक से संबंधित प्रतिवेदन के आलोक में बस भाड़ा में देय रियायत के क्षतिपूर्ति हेतु विभिन्न श्रेणियों के वाहनों से होने वाले आय-व्यय का अध्ययनोपरान्त ग्रामीण मार्गों पर संचालित वाहनों को क्षतिपूर्ति हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार किया जाना है।

5. उक्त के आलोक में सभी उप परिवहन आयुक्त सह सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड से प्राप्त प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, 2022 में निम्न संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(i) संकल्प की कंडिका 6.1 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

इस योजना के तहत् वैसे हल्के/मध्यम वाणिज्यिक चार पहिये वाहन, जिनमें Hard Top Body तथा Soft Top Body हो, जिनका निर्माण मोटरवाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार 07 से 42 बैठान क्षमता (चालक को छोड़कर) वाले केवल नवीन (New) क्रय किये गये वाहनों को इस योजना के तहत् परमिट एवं सुविधा प्रदान किया जाएगा।

(ii) संकल्प की कंडिका 6.4 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

इस योजना के तहत दिये जाने वाले लाभ केवल एक बार पाँच वर्षों की संचालन अवधि के दौरान या आगामी आदेश तक जो भी पहले हो, प्राप्त किया जा सकता है।

(iii) संकल्प की कंडिका 6.6(i) को निम्नवत् प्रतिस्थपित किया जाता है :-

इस योजना के तहत प्रथम परमिट निर्गमन की तिथि से 05 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिये मार्ग कर में छुट दी जायेगी तथा परमिट शुल्क मात्र 1/- रूपया एवं आवेदन शुल्क मात्र 1/- रूपया लिया जायेगा। ग्रामीण मार्ग पर संचालित वाहन द्वारा संतोषजनक रूप से सेवायान का परिचालन किये जाने की स्थिति में परमिट नवीकरण पुन: 05 वर्षों अथवा योजना लागू रहने की तिथि, जो भी पहले हो, तक परमिट का नवीकरण किया जायेगा तथा पूर्व की तरह सभी प्रकार के विनिर्धारित सब्सिडी दी जायेगी।

(iv) संकल्प की कंडिका 6.6(iii) **एवं** 6.6 (V) को विलोपित किया जाता है।

(v) संकल्प की कंडिका 6.6(iv) को निम्नांकित से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

इस योजना के तहत अधिसूचित मार्गों पर 7 से 42 बैठान क्षमता (चालक को छोड़कर) वाले क्रय किये गये नवीन वाहनों को ही संचालन की अनुमति होगी।

(vi) संकल्प की कण्डिका-6.8 के पश्चात निम्न प्रावधान अन्त:स्थापित किया जाता है :-

ग्रामीण मार्गों पर संचालित बसों को सरकारी बस स्टैंड में प्राथमिकता दी जायेगी तथा सभी प्रकार के पड़ाव शुल्क, नगर निगम प्रवेश शुल्क आदि से विमुक्ति रहेगी।

(vii) संकल्प की कंडिका 6.9 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

योजना के तहत् वित्तीय प्रोत्साहन की तालिका निम्न प्रकार होगी :-

क्र॰ सं॰	**वाहन**	**मार्ग कर**	**परमिट शुल्क**	**आवेदन शुल्क**	**वाहन निबंधन शुल्क**	**फिटनेस जाँच शुल्क**
1.	**नई क्रय की गयी वाहन जिसकी बैठान क्षमता 07 से 42 (चालक को छोड़कर) हो।**	कर मुक्त	मात्र रू. 1/-	मात्र रू. 1/-	मात्र रू. 1/-	मात्र रू. 1/-

(viii) संकल्प की कंडिका 8.2 में अंकित "अधिकतम लम्बाई 70 किलोमीटर" के स्थान पर "अधिकतम लम्बाई 125 किलोमीटर" से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

(ix) संकल्प की कंडिका 8.6 के पश्चात नई कंडिका 8.7 निम्नवत् अंत:स्थापित किया जाता है :-

नये ग्रामीण मार्गों के चिन्हितीकरण के क्रम में मार्ग दो या दो से अधिक प्रखण्ड अथवा जिला में पड़ने की स्थिति में सभी प्रखण्ड स्तरीय समिति का अनुमोदन आवश्यक होगी परन्तु ग्रामीण मार्ग का अंश दो या दो से अधिक जिला में से वैसे जिला जिसमें ग्रामीण मार्ग की दूरी कुल मार्ग की दूरी का 25% से कम होने की स्थिति में संबंधित जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

(x) संकल्प की कंडिका 12.1 के पश्चात नई कंडिका 12.1.1 निम्नवत् अंत:स्थापित किया जाता है :-

झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, 2022 के तहत आम नागरिकों को बस भाड़ा में दिये जाने वाले रियायत की क्षतिपूर्ति के निमित्त उक्त योजना के अंतर्गत संचालित वाहनों को राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के वाहनों को विशेष वित्तीय सहायता निम्नवत प्रदान की जायेगी:-

वाहन की श्रेणी बैठान क्षमता के आधार पर	**33 से 42 सीट तक**	**25 से 32 सीट तक**	**13 से 24 सीट तक**	**07 से 12 सीट तक**
देय विशेष वित्तीय सहायता	18 रूपये प्रति किलोमीटर	14.50 रूपये प्रति किलोमीटर	10.50 रूपये प्रति किलोमीटर	7.50 रूपये प्रति किलोमीटर

एतद् संबंधी SOP (Standard Operating Procedure) परिवहन विभाग द्वारा अलग से निर्धारित की जायेगी ।

(xi) परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक-1517, दिनांक-13.10.2022 सहपठित गजट सं॰-512, दिनांक-17.10.2022 द्वारा संसूचित झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, 2022 के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गयी है एवं उक्त गजट के कण्डिका-12.2 के आलोक में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्कीम, मांग संख्या-47, मुख्य शीर्ष -3055-सड़क परिवहन, उप मुख्य शीर्ष-00-सड़क परिवहन, लघु शीर्ष-001- निदेशन एवं प्रशासन के अंतर्गत, उप शीर्ष-04-झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान (Grant-in-Aid for Jharkhand Mukhyamantri Gram Gadi Yojana) मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होना निर्धारित है। उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में 250 वाहन संचालन किये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा देय वित्तीय सहायता में अनुमानित वित्तीय भार 24.00 (चौबीस) करोड़ रूपये आकलित की गई है। योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के पश्चात ग्रामीण मार्गों पर परमिट की स्वीकृति हेतु वाहन स्वामियों से प्राप्त आवेदनों एवं आम नागरिकों की आवश्यकता/मांग को ध्यान में

रखते हुए भविष्य में इस योजना के अन्तर्गत पूर्व से निर्धारित वाहनों की संख्या में यथावष्यक अभिवृद्धि परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा की जायेगी।

(xii) वाहनों के परिचालन में वाहन मालिकों के द्वारा अनियमितता पाये जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी। यदि वाहन स्वामी द्वारा इस योजना के तहत् स्वीकृत परमिट को स्वेच्छा से प्रत्यर्पण किया जाता है तो उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई संबंधित उप परिवहन आयुक्त-सह-सचिव, परिवहन प्राधिकार द्वारा की जायेगी।

(xiii) भविष्य में झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, 2022 योजना के कार्यान्वयन के दौरान आने वाली त्रुटियों का निराकरण करने हेतु परिवहन विभाग स्वयं सक्षम होगा एवं वित्तीय मामलों को छोड़कर अन्य मुद्दो पर विधिसम्मत अधिसूचना को निर्गत करने हेतु परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार स्वयं सक्षम होगा।

6. राज्य योजना प्राधिकृत समिति के प्रदत्त सशर्त अनुमोदन के आलोक में निम्न शर्तों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है:-

(a) झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, 2022 के अंतर्गत प्रथम चरण में 250 बसों का चिन्हित पथ मार्गों पर परिचालन कराया जाएगा।

(b) यह योजना प्रथम चरण में 05 वर्षों के लिए प्रभावी होगा।

7. उपरोक्त संशोधन संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी माना जायेगा एवं एतद् संबंधी पूर्व से निर्गत संकल्प इस हद तक संशोधित समझा जाएगा।

8. एतद पर राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक-18.10.2023 को सम्पन्न बैठक की मद संख्या-19 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कृपा नन्द झा,
सरकार के सचिव
परिवहन विभाग ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 629 - 50